(वाद संख्या–793/4/30/2020)

<u>24.02.2022</u>

नोटिस दिये जाने के बावजूद परिवादी, डॉ0 श्याम विनय कुमार, अनुपस्थित है एवं श्री मदन राय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर उपस्थित है।

जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, डॉ0 श्याम विनय कुमार, जिला परिषद् नियोजित माध्यमिक शिक्षक (समाजिक विज्ञान), द्वा0प्र0गौ0च0 परियोजना बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, कल्याणपुर चौक, समस्तीपुर के अवैतनिक अध्ययन अवकाश का उपभोग करने के उपरांत योगदान देने पर योगदान देने की तिथि से वेतन भुगतान नहीं किये जाने से संबंधित है।

उक्त पर **जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर** से प्रतिवेदन की मांग की गयी। **जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर** के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी को जून–2018 से अगस्त–2020 तक का बकाया वेतन–4,42,002/– (चार लाख बियालीस हजार दो रुपया) का भुगतान उनके बैंक खाता में किया जा चुका है।

अब जबकि परिवादी के शिकायत का संबंधित प्राधिकार द्वारा संतोषजनक समाधान कर दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में **जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर **संचिकास्त** किया जाता है।

तद्नुसार, आज पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए **जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए **परिवादी** को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

<u>निबंधक</u>